Accredited by NAAC
With "B" Grade

Phone & Fax: 07592-234553
E-mail : heggcvid@mp.gov.in

कार्यालय प्राचार्य, राजमाता विजया राजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी)
स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा (म.प्र.)

क्रमांक / अति.वि. / 04 / 26 विदिशा दिनांक 01/01/2026

|| विज्ञप्ति ||

——00——

राजमाता विजयाराजे सिंधिया शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय विदिशा में जनभागीदारी निधि से संचालित (स्ववित्तीय) पाठ्यक्रमों में सत्र 2025–26 की शेष अवधि के लिये पूर्णतः अस्थायी रूप से विषयवार स्ववित्तीय अतिथि विद्वान हेतु विज्ञप्ति निम्नानुसार जारी की जाती है। आवेदन पत्र विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस तक स्वीकार किए जा सकेंगे।

क.	विषय / पाठ्यक्रम	पद संख्या	योग्यता	मानदेय प्रतिमाह
1	भूगोल	01	म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 1 / 1 / 201 / 2023 / 38–1 भोपाल दिनांक 05.10.2023 के अनुसार	14000 / –
2	वनस्पतिशास्त्र	01		14000 / –

नियम एवं शर्ते :–

1. आमंत्रण–पत्र जारी करने का अधिकार प्राचार्य / सचिव को होगा।
2. आवेदन पत्र प्राचार्य / सचिव, जनभागीदारी समिति, शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विदिशा के नाम से प्रेषित किया जाये।
3. लिफाफे के ऊपर आवेदित पद नाम एवं विषय तथा प्रेषक का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाये।
4. अतिथि विद्वानों का चयन यूजीसी द्वारा निर्धारित मापदण्ड एवं मप्र शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ 1 / 1 / 201 / 2023 / 38–1 भोपाल दिनांक 05.10.2023 में वर्णित मापदण्ड एवं शासन द्वारा जारी नवीन निर्देशों के अनुसार पूर्णतः मेरिट के आधार पर होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की राजनीतिक सिफारिश वर्जित होगी।
5. आवेदन पत्र डाक या स्वयं उपस्थित होकर कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। डाक की देरी अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. उपरोक्त पद पूर्णतः अस्थाई है तथा आमंत्रित अभ्यर्थी किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना से संबंधित तथा लोक सेवक नहीं माने जायेंगे। कार्य / आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने पर बिना किसी सूचना के आमंत्रण निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य / सचिव के पास सुरक्षित है।

01.01.26

01.01.26

प्राचार्य
आर.वी.एस.शासकीय कन्या (अग्रणी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
विदिशा (म.प्र.)

Principal
R.V.S. Govt. Girls PG College,
Vidisha (M.P.)